

विहित प्रपत्र

अद्यतन
स्वअभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो

1. आवेदक का नाम:—.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:—.....
3. लिंग :—..... जन्म तिथि :—.....
4. शैक्षणिक योग्यता:—.....
5. सेवानिवृत्ति की तिथि एवं कार्यालय का नाम:—.....
.....
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पदनाम:—.....
7. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन (Pay in the Pay band+GP/Level):—.....
.....
8. सेवा का नाम:—.....
9. पूर्व के सेवाकाल में दिया गया दण्ड/सजा की विवरणी (स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ):—
.....
10. मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति :—.....
11. राजस्व कार्यों का अनुभव (यदि कोई हो तो):—.....
.....
12. प्रमंडल का नाम जहाँ सेवा देने के लिए इच्छुक है:—.....
प्रमंडल अंतर्गत जिला का नाम जहाँ सेवा देने के लिए इच्छुक हैं :—.....
13. स्थायी पता:—.....
.....
14. पत्राचार का पता:—.....
.....
15. ई-मेल:—.....
16. मोबाईल नं०:—..... 16. दूरभाष:—.....

नोट—सभी यथा वांछित सूचनाओं की एक-एक सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गई सूचनाएँ एवं संलग्न कागजात मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

दिनांक:—.....

स्थान :—.....

आवेदक का हस्ताक्षर

संविदा के आधार पर जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान एवं सेवा शर्त निर्धारण के संबंध में :-

1. आवेदक का उम्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. यह नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए किया जायेगा एवं Performance के आधार पर उनकी कार्यावधि का विस्तार योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1243/वि., दिनांक-28.04.2016 के अनुरूप किया जायेगा।
3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।
4. आवेदक को सेवाकाल में किसी प्रकार का दण्ड अधिरोपित नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं होना चाहिए।
6. आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी की स्थिति में नियत मानदेय एवं अन्य लाभों का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0-1243, दिनांक-28.04.2016 की कंडिका-7 के अनुसार देय होगी।
8. सेवानिवृत्ति पर नियुक्त पदाधिकारियों का जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रमंडलीय आयुक्त की स्वीकृति से उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।
9. चयन के निमित्त आवेदक को विहित प्रपत्र में यथावांछित सूचना अंकित करते हुए आवेदन पत्र संबंधित उपायुक्त के समक्ष समर्पित करना होगा।
10. आवेदक इस राज्य के किसी एक प्रमंडल का चयन करेंगे। उक्त प्रमंडल के अंतर्गत आनेवाले जिलों के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिस जिला में सेवा देने के लिए इच्छुक हों उसी जिला के उपायुक्त के समक्ष आवेदन देंगे एवं उनका चयन भी उसी जिला के अंतर्गत विचारणीय होगा।
11. राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, गोड्डा, प0 सिंहभूम, हजारीबाग एवं गढ़वा जिला में दो-दो एवं शेष पंद्रह जिलों में एक-एक नीलाम पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।